पुलिस महिला टीम/एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा महिला समूहों से संवाद के कुछ बिन्दु :-

1. Helpline की जानकारी (सबके बारे में अलग-अलग बताएं)

a) 1090 **1.वीमेन पावर लाइन प्रदेश स्तर- उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित** मुख्यालय लखनऊ।
2.फोन करके परेशान करना/इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना व धमकाना, पीछा करना, कॉलेज/मार्केट इत्यादि में छेड़खानी की शिकायत महिला कर्मी से कर सकती है। पूर्ण गोपनीयता रखी जायेगीं।

b) 112 1.आपातकालीन **हेल्पलाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर (गृह मंत्रालय)।**
2.पुलिस, अग्निशमन तथा महिला हेल्प लाईन का एकीकृत नम्बर है।
3.किसी भी प्रकरण में कॉल कर सकते है।
4.तुरन्त PRV के रूप में पुलिस सहायता आपके पास पहुॅचेगी।

c) 181 **1.महिला हेल्प लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर (महिला एवं** बाल विकास **मंत्रालय)**
2.महिला/बालिका कभी भी 24X7 काल कर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या बता सकती है।
3.181 हेल्प लाईन की रेस्क्यू वैन के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचेगी।

d) 1076 **1.मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर।**
2.मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
3.राज्य की जनता किसी भी समय अपनी किसी भी विभाग से सम्बन्धित शिकायतों को दर्ज करा सकती है व शिकायत के निस्तारण की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त कर सकती है।

e) 108 1.आपातकालीन **प्रतिकिया सेवा राष्ट्रीय स्तर।**
2.इसका प्रयोग चिकित्सा से सम्बन्धित किसी भी आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है।

f) 102 **1.एंबुलेंस सेवा राष्ट्रीय स्तर।**
2.यह सेवा गर्भवती महिला व शिशु(01 वर्ष तक के शिशु)को घर से अस्पताल तक ले जाने व वापस घर छोड़ने हेतु निःशुल्क प्रदान कीजाती ह।

g) 1098 **1.चाइल्ड लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर आपातकालीन सेवा।**
2.महिला व बाल विकास मंत्रालय के अधीन चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन संस्था द्वारा संचालित।
3.0 से 18 वर्ष के बच्चो की देखभाल, सुरक्षा और शेलटर के लिए कॉल कर सकते है-आश्रय व मदद करायी जायेगी।

2. किसी भी महिला को संकोच करने/झिझकने व डरने की कतई जरूरत नही है- उ0प्र0 सरकार व यूपी पुलिस हर समय आपके साथ है।
3. महिला यदि डरेंगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वह आपके अतिरिक्त और किसी को भी परेशान कर सकता है।
4. किसी अन्य महिला को परेशान/पीड़ित, शोषण व शारीरिक हिंसा का शिकार देखे तो उनकी भी मदद करें व हमारी हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करें।

5. महिलाओं को पढ़ाई क/कार्य के समान अवसर मिलने चाहिए – कोई पढाई करने से जॉब करने से, इच्छा के विपरित विवाह करने, कम उम्र में विवाह करने का दबाव बनाए तो इसकी सूचना दें।
6. घरेलू हिंसा/दहेज की मांग/संतान को लेकर टीका–टिप्पणी/के विरूद्ध आवाज उठाएं।
7. मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतें :–
   a) किसी को अपनी फोटो न भेजें।
   b) अन्जान व्यक्ति से वीडियो कॉल न करें।
   c) अपने घर का पता व लोकेशन किसी से शेयर न करें।
   d) जो फोटो हम अपने मोबाइल फोन पर खींचते है कई बार इण्टरनेट के माध्यम से अपराधी उनको चुरा सकते हैं। इसलिए फोन पर फोटो/वीडियो सोचकर समझकर बनाये। कई बार फोन गुम हो जाने पर हमारा डाटा किसी और के पास पहुंच सकता है।
   e) अनावश्यक के एप न डॉउनलोड करें।
   f) फेसबुक इत्यादि पर अपनी फोटो डालने में सावधानी बरतें।
   g) मैसेज में आये अन्जाने लिंक को मोबाइल पर क्लिक न करें।
8. फोन पर किसी स्कीम/लॉटरी के झांसे में न आएं व अपने बैंक अकाउण्ट/पासवर्ड/CVV की जानकारी किसी को न दें।
9. स्कूल/कॉलेज/मॉल/सिनेमाघरों/मार्केट में कहीं कोई शोहदा आपको या अन्य किसी लड़की को तंग करें तो इसकी सूचना तत्काल दें – हर हाल में आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
10. यदि आपकी कोई शिकायत/सुझाव/फीडबैक हो तो हमें नोट करा सकती हैं।